भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 955

11 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पर्यावरण मंजूरी हेतु प्रतीक्षारत इस्पात परियोजनाएं

955. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यावरण मंजूरी हेतु प्रतीक्षारत इस्पात परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयोजन साधनों और विशेष खनन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरण मंजूरी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) में कुल 21 पर्यावरण अनुमति संबंधी प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। ईआईए अधिसूचना 2006 तथा यथा संशोधित के अनुसार वन अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्र/राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)/ राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) अथवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

(ख): इस्पात मंत्रालय के अधीन कोई विशेष प्रयोजन तंत्र अथवा विशेष खनन जोन नहीं आते हैं।

(ग): वन अनुमतियों के संबंध में सुचारू तथा त्वरित निर्णयों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने अनुमतियों से संबंधित समग्र प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के उद्देश्य से 10 अगस्त, 2018 को एक सिंगल विंडो ऑनलाइन परिवेश (PARIVESH) (परस्पर संवादात्मक, लाभप्रद और पर्यावरणीय सिंगल विंडो हब द्वारा सक्रिय और जिम्मेदार सुविधा) पोर्टल की शुरूआत की है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केन्द्र स्तर पर वन अनुमतियों के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की बैठकें अब माह में दो बार आयोजित की जा रही हैं।
- पर्यावरणीय सरोकारों की सख्तियों से समझौता किए बिना अतिरेकों को समाप्त करने तथा अनुमति के लिए पारदर्शी तथा सरलीकृत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक, नीतिगत एवं प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न अन्य पहलें भी की गई हैं।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों/पहलों के कारण, ईआईए अधिसूचना, 2006 में उल्लिखित 105 दिन की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में वन अनुमति प्रदान करने के औसत समय में पर्याप्त रूप से कमी आई है।

*****